न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 5383 / 2004 / जयपुर

1– श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर।

2– श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह मृतक जरिये विधिक वारिसानः–

2 / 1 रतन कंवर पत्नी स्व0 श्री लक्ष्मणसिंह

2 / 2 गणपत सिंह पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मणसिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम रोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

3– गोपाल सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4– हरि सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर।

5– कानसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1– शम्भूसिंह पुत्र श्री श्यामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर।

2– सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री जयनारायण शर्मा निवासी मुरलीपुरा स्कीम जयपुर।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री अविनाश चौधरी, सदस्य

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :–

1–श्री डूँगर सिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी सं0 1 व 3 से 5 की ओर से।

2—श्री धर्मेन्द्र सिंह टांक, अधिवक्ता अपीलार्थी सं0 2 के का0 मु0 की ओर से।

3—श्री नरेश कुमार, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से।

4—प्रत्यर्थी सं0 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित। उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

——

निर्णय

दिनांकः —08—2022

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील सं0 209/2002 में पारित किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 21—09—2004 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई हैं।

2— संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण सं0 1 से 5 ने एक वाद अधिनियम की धारा 88, 188, 89 व 91 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के न्यायालय में ग्राम रोजदा, तहसील आमेर के खेत खसरा नं0 74 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा बाबत् पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा था व प्रतिवादी का नाम गलत अंकित हो गया। जागीर उन्मूलन के समय से ही वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाए। विचारण न्यायालय ने दावे को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया, प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश कर दावे के कथनो से इन्कार किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर 10 तनकियात कायम की। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09—09—2002 द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई अपील वादीगण जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21—09—2004 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है।

3— हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4— योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी सं0 1 ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क था कि उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। उनका तर्क था कि दोनो अधिनस्थ न्यायालयों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह जागीरदार के पुत्र होने व उस समय की खुदकाश्त की भूमि होने एवं निरन्तर कब्जे में होने के कारण विवादित भूमि का वादी ही खातेदार है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ अपील न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया था किन्तु उन्होंने राजीनामें के अनुसार अपना निर्णय प्रदान नहीं किया जबकि वाद राजीनामे अनुसार डिक्री किया जाना चाहिए था। अतः द्वितीय अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किए जावें।

5— योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी सं0 2 ने लिखित बहस पेश की व लिखित बहस में कथन किया कि योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, गलत है। क्योंकि पत्रावली में अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता का वकालतनामा पेश किया गया है, ऐसी स्थिति में उन्हें सुनवाई हेतु नियत तिथि पर उपस्थित रहना चाहिए था। उनका यह भी तर्क था कि विचारण न्यायालय ने वादीगण द्वारा पेश किया गया मूल वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 09—09—2002 द्वारा खारिज किया था एवं उक्त तिथि तक उक्त वाद में पारित की गई अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31—01—1996 प्रभावी थी, जिसके प्रभावी रहते विक्रय पत्र दिनांक 06—08—1999 बाद निष्पादन उप पंजीयक, आमेर ने दिनांक 09—08—1999 को पंजीकृत किया था। उक्त विक्रय पत्र ना केवल अवैध है, अपितु शून्य भी है, जिसके संबंध में पृथक से उक्त आशय की डिक्री लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका यह भी तर्क था कि प्रत्यर्थी सं0 2 मूल वाद में पक्षकार नहीं थे किन्तु उन्हें प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष दौराने वाद, वाद भूमि के संबंध में किए गए तथाकथित संव्यवहार के आधार पर पक्षकार बनाया गया था। आदेश 41 नियम 20 सी0पी0सी0 में अपीलीय स्तर पर पक्षकार बनाए जाने के लिए यह व्यवस्था है परन्तु इसमें अजनबी व्यक्ति को पक्षकार बनाए जाने की शक्ति अपीलीय न्यायालय को प्रदत्त नहीं की गई है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने सुर्प्रीम कोर्ट द्वारा अपील सिविल 854—855 वर्ष 1998 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 06—11—2003 का सहारा लिया, जिसमें

अभिनिर्धारित किया गया है कि मूल वाद के विचाराधीन रहते पश्चातवर्ती अंतरिती आवश्यक पक्षकार नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने 1996 (5) एससीसी पेज 539 व ए0आई0आर0 2009 राज0 पेज 28 के न्यायिक दृष्टांत का सहारा लिया। उनका यह भी तर्क था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मूल वादीगण व मूल प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए संयुक्त समझौता प्रार्थना पत्र को अविधिक करार दिया है परन्तु अपना मत प्रकट करने से पूर्व सी0पी0सी0 के आदेश 23 नियम 3 सी0पी0सी0 को अवलोकित नहीं किया। उनका यह भी तर्क था कि विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किए गए मूल वाद के विचाराधीन रहते व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रभावी रहते निष्पादित हुए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06–08–1999 के निरस्तीकरण के लिए क्रेता सुरेश कुमार के विरूद्ध वादीगण व मूल प्रतिवादी दोनों ने पृथक पृथक दीवानी वाद पेश किए थे, जिनका निस्तारण जिस आधार पर किया गया है, वे आधार हस्तगत अपील के गुणावगुण को कतई प्रभावित नहीं करते। उनका यह भी तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिक त्रुटि से ग्रस्त है, अतः द्वितीय अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें व मूल वादीगण व मूल प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए समझौता प्रार्थना पत्र के अनुसार समझौता डिक्री पारित की जावें।

6– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 2 ने तर्क दिया कि उसने विवादित भूमि खातेदार से क्रय की है तथा विक्रय पत्र को विधिवत रूप से पंजीबद्ध करवाया है। उनका यह भी कथन था कि विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किए जवाबदावे में प्रतिवादी ने वाद के तथ्यों से इन्कार किया है और विवादित भूमि स्वंय की खातेदारी की भूमि बताई है, जिसके आधार पर दावा खारिज किया गया है। जवाबदावे के समय भूमि का बेचान नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें। उन्होंने निवेदन किया कि अधीनस्थ अपील न्यायालय का निर्णय उचित व विधिसम्मत है।

7– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

8– प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थीगण सं0 1 से 5 ने एक वाद अधिनियम की धारा 88, 188, 89 व 91 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के न्यायालय में ग्राम रोजदा, तहसील आमेर के खेत खसरा नं0 74 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा बाबत् पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा था व प्रतिवादी का नाम गलत

अंकित हो गया। जागीर उन्मूलन के समय से ही वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर इस्तकरारहक भूमि खसरा नं0 74 वाकै ग्राम रोजदा तहसील आमेर वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि मानी जावें। मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती की जावें तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

9— विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण का मुख्य तर्क रहा कि विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है किन्तु भू प्रबंध विभाग ने प्रतिवादी के साथ वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं किया। भू प्रबंध विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में माना कि उक्त दोनों कथनों के संबंध में वादीगण ने पत्रावली में विवादित भूमि के संबंध में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है कि जिससे यह माना जा सके कि वादीगण व प्रतिवादीगण या उनके पूर्वजों का राजस्व रिकार्ड में नाम साथ–साथ था। प्रतिवादी एक ओर तो कथन करता है कि प्रतिवादी का नाम गलत अंकित किया गया है दूसरी ओर वह प्रतिवादी के साथ अपना नाम लिखवाना चाहता है, ऐसी स्थिति में केवल मौखिक कथनों के आधार पर वादी को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने माना कि वादी किसी भी दस्तावेज से यह साबित करने में असफल रहा है कि खसरा नं0 74 पर दोनों पक्षों का संयुक्त रूप से नाम रहा हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से पूर्ण रूपेण स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि खसरा नं0 74 पर संवत् 2004 से 2023 तक प्रतिवादी का नाम अंकित है, ऐसी स्थिति में उक्त इन्द्राज से कोई आपत्ति होती तो वादीगण के पिता भंवरसिंह ने अपने जीवनकाल में इन्द्राज दुरस्ती की कार्यवाही क्यों नहीं की। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय ने वादी के वाद को सिद्ध होना नहीं मानते हुए खारिज किया है।

10— अधीनस्थ अपील न्यायालय ने भी अपने निर्णय में माना कि वादीगण/अपीलार्थीगण ऐसा कोई दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहे है कि जिससे यह माना जा सके कि विवादित भूमि अपीलार्थीगण के पिता या उनके दादा के नाम खातेदारी में अंकित रही हो। अधीनस्थ अपील न्यायालय ने उनके समक्ष पेश किए गए राजीनामें के संबंध में माना कि उक्त राजीनामें के आधार पर अपीलार्थीगण/वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार नहीं है, क्योंकि विवादित भूमि पैत्रिक सम्पति होना साबित नहीं है व वाद में अंकित सजरा

खानदान के अनुसार पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य नहीं है बल्कि एक खानदान के सदस्य है। अतः प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार खातेदारी की घोषणा नहीं की जा सकती व न ही इस आधार पर अधिकारों का अजनबी पक्षकारान के पक्ष में राजीनामा हस्तातंरण किया जा सकता है।

11— हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अपीलार्थी/वादीगण किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित भूमि बाबत् अपना दावा सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट प्रकट होता है कि विवादित भूमि खसरा नं0 74 पर संवत् 2004 से 2023 तक प्रतिवादी का नाम अंकित है, ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपना समवर्ती निष्कर्ष अंकित करते हुए वादी के वाद को खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं तथा द्वितीय अपील के स्तर पर हम उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना उचित एवं आवश्यक नहीं समझते है।

12— उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21—09—2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

(अविनाश चौधरी)
सदस्य